न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) सीकर
पीठासीन अधिकारी, कविता गोदारा, आर0ए0एस0

पत्रावली आवेदन पत्र संख्या : 129/2012

हरिप्रसाद पुत्र श्री भागीरथमल, जाति धोबी (हिन्दू) नि0 चेतनदास की ढाणी तन पलसाना उप तह0 पलसाना तह0 दांतारामगढ़, जिला सीकर।

प्रार्थी,

बनाम

1. हनुमान प्रसाद। पुत्रगण स्व0 भागीरथमल
2. मूलचंद ।
3. दुर्गादेवी बेवा भागीरथमल
   समस्त जाति धोबी (हिन्दू) नि0 चेतनदास की ढाणी तन पलसाना उप तह0 पलसाना तह0 दांतारामगढ़, जिला सीकर।
4. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसील पलसाना जिला सीकर।

अप्रार्थीगण,

उपस्थित :– 1. श्री विधाधर सुण्डा, वकील प्रार्थी की ओर से।
2. ,, सोहन लाल चौधरी, अप्रार्थी सं0 1 से 3 की ओर से।

आवेदन अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0 अधिनियम।

:: निर्णय :: दिनांक :: 25.09.2025

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना–पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि ग्राम चेतनदास की ढाणी तन पलसाना की तन में कृषि भूमि ख0नं0 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 169, 170, 171, 172, 172/219 कुल रकबा 831 है0 अवस्थित है। उक्त वर्णित कृषि भूमियों की खातेदारी हिस्सा 1/3 की प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 ता 3 के नाम, 1/4 हिस्सा की खातेदारी अप्रार्थी सं0 7 ता 10 के नाम, हिस्सा 1/12 की खातेदारी अप्रार्थी सं0 11 के नाम व शेष हिस्सा 1/3 की खातेदारी अप्रार्थी सं0 12 ता 14 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी के पिता स्व0 भागीरथमल का दिनांक 21.9.2004 को देहान्त हो चुका है। मद सं0 1 में वर्णित कृषि भूमियों में से हिस्सा 1/3 में से प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 व 2 का अपने पिता के जीवनकाल में प्रत्येक का हिस्सा 1/4 संयुक्त हक,हिस्सा व कब्जा रहा है। स्व0 भागीरथमल के देहान्त के बाद वादग्रस्त कृषि भूमियों में से हिस्सा 1/3 में से प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 ता 3 प्रत्येक हिस्सा 1/4 नोशनल हिस्सा विरासत के आधार पर कानूनन प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थी के पिता का स्वर्गवास होने पर अप्रार्थीगण सं0 1 ने वादग्रस्त कृषि भूमियों का ना0क0 सर्वथा अवैध गलत व राजस्व अधिकारियों से साजकर राजस्व अभिलेख में बिना जांच करवाये ही इन्द्राज करवाया है। अप्रार्थी सं0 1 ने स्व0 भागीरथमल की विरासत का

सहायक कलक्टर (मु०) सीकर

अप्रार्थी सं0 3 के नाम गलत रूप से वादग्रस्त कृषि भूमियों में हिस्सा 1/12 दर्ज करवाकर अप्रार्थी सं0 3 के हिस्सा की वादग्रस्त कृषि भूमियों का हक त्याग गलत रूप से दिनांक 20.10.2011 को उप पंजीयक सीकर के कार्यालय में पंजीबद्ध करवाया गया। उक्त हक त्याग पत्र प्रार्थी को वादग्रस्त कृषि भूमियों में से उसके हिस्से की कृषि भूमियों से बेदखल करने की नियत से करवाया गया है, जो प्रार्थना–पत्र की मद सं0 4 की उप मद क,ख,ग,घ,ड कारणों से सर्वथा अवैध, अनाधिकृत, बोगस, शुन्य एंव प्रभावहीन है। उपरोक्त कारणों से हकत्याग दिनांक 20.10.2011 प्रार्थी के अधिकारों के मुकाबले गलत, अवैध, शुन्य व प्रभावहीन है तदनुसार प्रार्थी वादग्रस्त कृषि भूमि में से हिस्सा 7/48 के खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा करवाने का अधिकारी है। वादग्रस्त कृषि भूमियों में से ख0नं0 156, 158, 157 पर अपने हिस्सा 1/2 बाहमी बंटवारा अनुसार मौके पर वर्तमान में काबिज है। परन्तु अप्रार्थी सं0 1 अप्रार्थी सं0 3 द्वारा अपने हक में करने गये गलत अवैध व प्रभावहीन हक त्याग दिनांक 20.10.2011 के आधार पर प्रार्थी को उसके हिस्से की कृषि भूमियों से जबरन लठ के बल पर बेदखल करने पर उतारू हो रहा है। अप्रार्थी सं0 1 लडाकू व्यक्ति है, जिसका कानूनन कोई अधिकार नहीं है। अगर अप्रार्थी सं0 1 ता 3 अपने उद्वेय में सफल हो गये तो अप्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति व मूल्यांकन किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकेगा इसलिए अप्रार्थी सं0 1 ता 3 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है वे भूमि ख0नं0 156 रकबा 0.85 है0 में से हिस्सा 1/2, पश्चिम ओर की भूमि में व ख0नं0 158 रकबा 0.85 है0 में से हिस्सा 1/2 पूर्वी दिशा भाग की व ख0नं0 157 रकबा 0.01 है0 गै0मु0 चाह में से हिस्सा 1/2 संपूर्ण तन चेतनदास की ढाणी तह0 दांतारामगढ़ से बेदखल करने व कब्जे काश्त में गुजाहमत करने से बाज रहे अप्रार्थी सं0 4 को प्रतिबंधित किया जावे कि वह ख0नं0 156 ता 158, 160 ता 166, 169 ता 172, 172/219 तन चेतनदास की ढाणी तह0 दांतारामगढ़ में से अनावेदक सं0 3 द्वारा अनावेदक सं0 1 के पक्ष में कराये गये पंजीबद्ध हक त्याग दिनांक 20.10.2011 के आधार पर राजस्व अभिलेख मं इन्द्राज करने से बाज रहे व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखे।

प्रार्थना–पत्र अं0 धारा 212 आर0टी0एक्ट न्यायालय हाजा में पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किये जाने पर अप्रार्थी सं0 1 व 3 जरिये वकील उपस्थित आए तथा अप्रार्थी सं0 1 ने जवाब आवेदन पेश कर निवेदन किया कि मद सं0 1 वाद पेश करना स्वीकार है। मद सं0 2 में वर्णित भूमियां तथा उसमें दर्ज खातेदारी से संबंधित कथन सही होने से स्वीकार है। मद सं0 3 में वर्णित कथन सही होने से स्वीकार है। मदसं0 4, 5 में अंकित कथन गलत होने से अस्वीकार है। मद सं0 6 में अंकित कथन सही होने से स्वीकार है। मद सं0 7 व 8 में अंकित कथन गलत होने से अस्वीकार है। विशेष कथन में अंकित किया है कि प्रश्नगत भूमियों में से जवाबदाता की 1/12 हक, हिस्से की खातेदारी एंव कब्जा काश्त है तथा अप्रार्थी सं0 3 जवाबदाता की माता ने उसकी सेवा सुश्रुषा से प्रसन्न होकर अपना 1/12 हक हिस्सा उपहार स्वरूप दिनांक 20.10.11 को हक त्याग किया गया है। इस प्रकार जवाबदाता का स्वंय का 1/12 तथा हक त्याग से प्राप्त हिस्सा 1/12 कुल 1/6 हक हिस्से पर काबिज काश्त है तथा

उपखण्ड अधिकारी(मु.)सीकर

हक त्याग से प्राप्त हिस्सादारी 1/12 भाग को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी ने अपनी माता व उसके पति जो कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 व 2 का पिता है के साथ मारपीट करके घर से बाहर निकाल दिया। जिसके बाद स्व0 भागीरथमल व स्व0 दुर्गादेवी अप्रार्थी सं0 1 के साथ रही है तथा भागीरथ के देहान्त होने के बाद भी अप्रार्थी के साथ ही रही है। उनकी भूमि में कब्जाकाश्त भी अप्रार्थी का ही चला आ रहा है दिनांक 7.5.2016 को अप्रार्थी सं0 3 का देहान्त हो जाने के बाद से जवाबदाता उपहार स्वरूप हक त्याग के रूप में दी गई भूमि को काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी ने जवाबदाता के हक हिस्से में आई अपनी माता की भूमि को हडपने की नियत से प्रस्तुत वाद पेश किया है। इसने पूर्व में भी जवाबदाता व उसकी पत्नी व बच्चों के साथ दिनांक 22.2.2011 को मारपीट कर घर से बेदखल करना चाहा जिसका मु0 सरकार बनाम हरिप्रसाद मु0नं0 239/2011 अपराध अं0 धारा 323, 341, 325/34 के अंतर्गत ए0सी0जे0एम0 सीकर के यहां विचाराधीन था। जिसमें प्रार्थी ने जुर्म स्वीकार कर जुर्माने की शास्ती भरके फैसला करा लिया था।जवाबदाता द्वारा प्रार्थी की आरे से वाद पेश करने पर 10.3.21 तक राजीनामा करने के लिए सामाजिक एंव पारिवारिक सदस्यों से मिलकर रिश्तेदारों सगे संबंधियों की मध्यता में काफी प्रयास किये गये। लेकिन प्रार्थी राजीनामा करने से इंकार करता रहा है। जवाब आवेदन पेश कर प्रार्थी का आवेदन मय विशेष हर्जा खर्चा खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि रिलीज डीड सभी के पक्ष में होती है, तो मान्य है, नहीं तो मान्य नहीं है। मां के पास जो जमीन थी। वह सभी वारिसानों के नाम न होकर एक बेटे के पक्ष में हक त्याग कर दिया है। सेक्शन 14, 15 इन पर लागू नहीं होता है। बहस के दौरान न्यायिक दृष्टांत एआईआर 2003 आन्धप्रदेश 498,एआईआर 1986 सुप्रीम कोर्ट 1753, एआईआर 1986 सुप्रीम कोर्ट 1760 पेश किये।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि यह सम्पत्ति विरासत में प्राप्त हुई है। यह खुद के स्वामित्व की है। वह किसी को भी बेचान कर सकते है व रिलीज डीड भी कर सकते है। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि जो बच्चे मां पिता की सेवा नहीं करते है, तो उनको सम्पत्ति से बेदखल किया जा सकता है। बहस के दौरान न्यायिक दृष्टांत हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 पेश किया।

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई,मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,जवाब प्रार्थना–पत्र के अवलोकन से जाहिर है कि ग्राम चेतनदास की ढाणी तन पलसाना की तन में कृषि भूमि ख0नं0 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 169, 170, 171, 172, 172/219 कुल रकबा 831 है0 की खातेदारी हिस्सा 1/3 की प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 ता 3 के नाम, 1/4 हिस्सा की खातेदारी अप्रार्थी सं0 7 ता 10 के नाम, हिस्सा 1/12 की खातेदारी अप्रार्थी सं0 11 के नाम व शेष हिस्सा 1/3 की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 12 ता 14 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी के

अतिरिक्त कलक्टर(मु०)सीकर

पिता स्व0 भागीरथमल का दिनांक 21.9.2004 को देहान्त हो चुका है। मद सं0 1 में वर्णित कृषि भूमियों में से हिस्सा 1/3 में से प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 व 2 का अपने पिता के जीवनकाल में प्रत्येक का हिस्सा 1/4 संयुक्त हक,हिस्सा व कब्जा रहा है। स्व0 भागीरथमल के देहान्त के बाद वादग्रस्त कृषि भूमियों में से हिस्सा 1/3 में से प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 ता 3 प्रत्येक हिस्सा 1/4 नोशनल हिस्सा विरासत के आधार पर कानूनन प्राप्त करने के अधिकारी है। अप्रार्थी सं0 1 ने स्व0 भागीरथमल की विरासत का अप्रार्थी सं0 3 के नाम से वादग्रस्त कृषि भूमियों में हिस्सा 1/12 दर्ज करवाकर अप्रार्थी सं0 3 के हिस्सा की वादग्रस्त कृषि भूमियों का हक त्याग दिनांक 20.10.2011 को उप पंजीयक सीकर के कार्यालय में पंजीबद्ध करवाया गया। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि रिलीज डीड सभी के पक्ष में होती है, तो मान्य है, नहीं तो मान्य नहीं है। मां के पास जो जमीन थी। वह सभी वारिसानों के नाम न होकर एक बेटे के पक्ष में हक त्याग कर दिया है। सेक्शन 14, 15 इन पर लागू नहीं होता है।

वादी द्वारा वाद बाबत उद्घोषणा, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राज0काश्त0अधिनियम बाबत पेश किया है, जिसमें जवाब काउन्टर क्लेम पेश हो चुका है। वाद में तनकी निर्धारित की जाकर साक्ष्य/सबूत एंव मेरिटस के आधार पर वाद का अंतिम निस्तारण किया जाना है। चूंकि प्रार्थी के पिता स्व0 भागीरथमल का दिनांक 21.9.2004 को देहान्त हो चुका है। मद सं0 1 में वर्णित कृषि भूमियों में से हिस्सा 1/3 में से प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 व 2 का अपने पिता के जीवनकाल में प्रत्येक का हिस्सा 1/4 संयुक्त हक,हिस्सा व कब्जा रहा है। स्व0 भागीरथमल के देहान्त के बाद वादग्रस्त कृषि भूमियों में से हिस्सा 1/3 में से प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 ता 3 प्रत्येक हिस्सा 1/4 नोशनल हिस्सा विरासत के आधार पर कानूनन प्राप्त करने के अधिकारी है इसलिए प्रकरण में पृथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है। विवादग्रस्त भूमियों पर वाद विवाद बाहुलता नहीं बढ़े तथा मौके पर शांति व्यवस्था बनी रहे, इसलिए न्यायहित में न्यायालय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार कर अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द करना उचित समझता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित कृषि भूमि ख0नं0 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 169, 170, 171, 172, 172/219 कुल रकबा 831 है0 ग्राम चेतनदास की ढाणी तन पलसाना तहसील दांतारामगढ़, सीकर के राजस्व रिकॉर्ड एंव मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(कविता गोदारा)
सहायक कलक्टर (मु0) सीकर

निर्णय आज दिनांक 25.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मु0) सीकर